


149  
283

RENEWAL

FORM 'A 2'  
ACKNOWLEDGEMENT  
{See Clause 8(3)}



Letter No- 5/F- 06 /90

283

/Agri., Patna, Dated 24/04/2019

Received from M/s Rani Sati Fertilizers Pvt. Ltd, a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2550 by Treasury Challan bearing number 10 Dated 24-01-2019 deposited in State Bank of India, Baily Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), till 28-03-2022 unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-

Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 110 (R)

Date.....

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Rani Sati Fertilizers Pvt. Ltd, Style- Wholesale Dealer	Industrial Area Donar, Darbhanga.	Industrial Area, Donar, Darbhanga.	1-NPK 18:18:06 2- NPK 12:12:12	Self Manufactured

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Shrawan Kumar Jhunjhnwal  
Managing Director  
M/s Rani Sati Fertilizers Pvt. Ltd,  
Industrial Area Donar, Darbhanga.

Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

/Agri., Patna, Dated 24/04/2019

Memo No.... 283

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Amit Kr.  
Assistant

Rajendra Kr. Verma  
Dy. Dir.(Agro)

Dr. Brejesh kumar  
Joint Dir. (Agro) Crop & Farm

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

उर्वरक कोषांग।

सचिका सं- 5/F-06/90

284

/कृ० पटना, दिनांक 24/04/2019

कार्यालय आदेश

मे० रानी सती फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, दरभंगा के उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र संख्या सं० 110(R) दिनांक 08.08.2016 वैधता तिथि 29.03.2019 को दिनांक 28.03.2022 तक के लिए नवीकृत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संघारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।  
अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

3

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

24/04/2019

ज्ञापांक : 284

दिनांक :

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरकों का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

24/04/2019

ज्ञापांक : 284

दिनांक :

प्रतिलिपि : मे० रानी सती फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, इन्डस्ट्रीयल एरिया, डोनार, दरभंगा, को सूचनार्थ प्रेषित।

अमित कुमार

(अमित कुमार)  
सहायक

शजेंद्र कुमार वर्मा

(शजेंद्र कुमार वर्मा)  
उप निदेश (शांथ)

ब्रजेश कुमार

(डॉ० ब्रजेश कुमार)  
सं० निदेश (शांथ)

3

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।